प्रेस नोट - दिनांक 14.02.2025

थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव

लूट की फर्जी सूचना देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी तथा क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा लूट की फर्जी सूचना देने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 13.02.2025 को समय करीब 07.00 बजे समीर पुत्र लालबाबू निवासी तालिब सरांय थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव द्वारा डायल 112 पर सूचना दी गई कि वह आज सुबह समय करीब 06.00 बजे अपने पिकअप UP 35 BT 6720 से भैंस लेने कोतवाली सदर से सफीपुर जा रहा था। पिकअप में मो0 रिहान पुत्र बदरुद्दीन निवासी गदियाना थाना कोतवाली सदर द्वारा भैंस खरीदने के लिये दिये गये करीब 1.50 लाख रुपये रखे थे। तभी थाना कोतवाली सदर क्षेत्रान्तर्गत सिंधुपुर मोड़ के पास तीन अज्ञात लोगो द्वारा मेरे पिकअप के शीशे पर पत्थर मार दिया गया तथा उसके बाद तमंचे के बल पर मेरे पिकअप में रखे 1.50 लाख रुपये लेकर चले गये। सूचना पर थाना कोतवाली सदर पुलिस व एसओजी टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। घटना के सम्बन्ध में जब समीर उपरोक्त से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसने लूट की झूठी सूचना दी थी। वह मंहगीं गाड़ियों का शौकिन है अपना शौक पूरा करने के लिये उसने खुद पैसे गायब कर दिये थे तथा फर्जी लूट की सूचना डायल 112 पर दे दी थी। प्रकरण उपरोक्त के सम्बन्ध में रेहान पुत्र बदरुद्दीन निवासी 37 गदियाना थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0स0 119/25 धारा 318(4)/212/217 बीएनएस पंजीकृत किया गया है। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

समीर पुत्र लालबाबू निवासी तालिब सरांय थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव।

बरामदगी का विवरण- 01.50 लाख रुपये नगद

गिरफ्तारी मे शामिल पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार मिश्र मय टीम

एसओजी व सर्विलांस टीम